

અધ્યાય II

બજટીય પ્રબંધન

अध्याय II : बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राजस्थान की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतराल के साथ-साथ आधिक्य व्यय, निरन्तर बचतें और अंतिम समय में निधियों के अभ्यर्पण जैसे मुद्दों को उजागर करता है। यह वित्तीय नियोजन, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, तथा यथार्थवादी बजट निर्माण, निधियों के समय पर उपयोग और जेंडर एवं चाइल्ड बजटिंग जैसी आधुनिक प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)” कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। व्यय के अनुमानों में व्यय की ‘प्रभारित’ और ‘दत्तमत’ मदों को अलग-अलग दर्शाया जाता है और राजस्व लेखों पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग दर्शाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी अनुमोदन अनिवार्य होता है।

राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान एकत्र कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्षों की सलाह पर प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और ‘अनुदानों की मांग’ नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बना होता है:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ➤ वार्षिक वित्तीय विवरण | मध्यावधि राजकोषीय योजना |
| ➤ अनुदानों की मांग | राजकोषीय जोखिम विवरण |
| ➤ एफआरबीएम विवरण | अन्य |

बजट प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सामान्यतः अगस्त माह में बजट परिपत्र जारी किए जाने से आरंभ होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

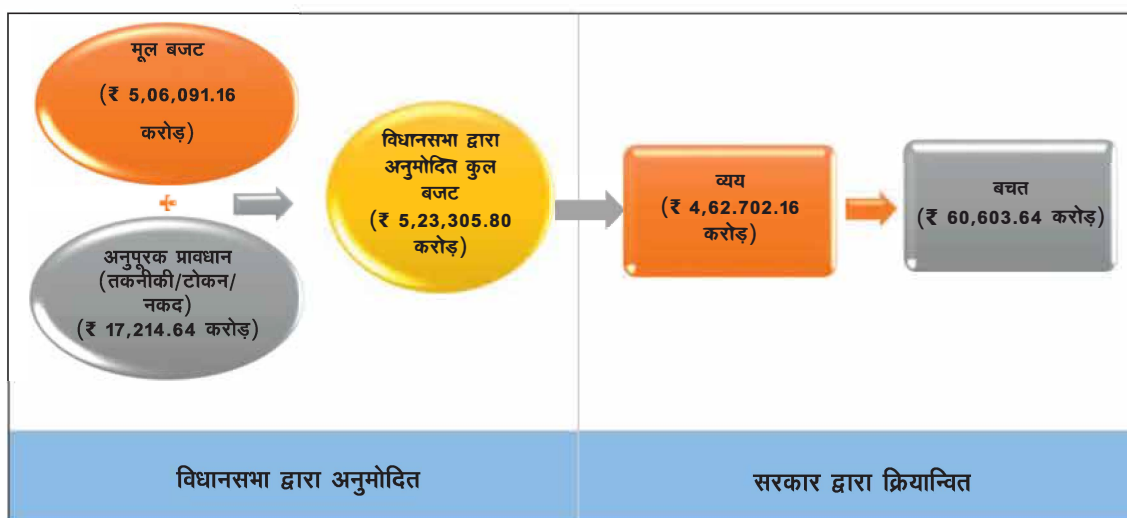
राज्य का बजट मुख्य रूप से सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभाजित है। राजस्थान बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट अनुश्रवण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। क्षेत्रवार बजटिंग, जैसे कि सामाजिक बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, नवीन बजटिंग तकनीकों को दर्शाता है। राजस्थान में, समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कुछ उप-बजट/विवरण जैसा कि कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण और दो प्रकार के प्रदर्शन बजट दस्तावेज यानी आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है।

चाइल्ड बजट और जेंडर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन और व्यय का विस्तृत लेखा-परीक्षा विश्लेषण **अनुच्छेद 2.7 और 2.8** में प्रस्तुत किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसे ही विस्तृत अनुमान और अनुदान विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, वित्त विभाग सभी विभागाध्यक्षों और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान हेतु बजट आवंटन के बारे में सूचित करता है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियां महालेखाकार को भी भेजता है। वित्त विभाग द्वारा ऐसी सभी जानकारी और बजटीय आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड की जाती है और इस तक पहुंच संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/ विनियोजन का उद्देश्य, मूल रूप से बजट में निर्धारित राशि से अधिक होने वाले व्यय को पूरा करना अथवा ऐसे व्ययों को वहन करना होता है जिनकी बजट में पहले से कोई परिकल्पना नहीं की गई थी।

वित्त विभाग वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान और पुनर्विनियोजन के लिए किए गए अनुरोधों की भी समीक्षा करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा अनुदान के अंतर्गत निधि को फिर से आवंटित करने के लिए पुनर्विनियोग का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित समस्त राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:



राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए। अनुमान में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितनी कि वास्तविक व्यय में आधिक्य है। बजट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान में प्रदान की गई राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय किया जा सके और यह न तो अधिक और न ही कम होनी चाहिए।

2.2 बजट अनुमान तथा प्रत्याशित और वास्तविक व्यय के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन, योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग का संतुलन बनाए रखता है। निरन्तर बचतें/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण तालिका 2.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,59,637.14	9,669.31	2,69,306.45	2,35,971.04	33,335.41	32,751.49	98.25
	II. पूंजीगत	47,494.14	885.66	48,379.80	34,847.40	13,532.40	13,201.60	97.56
	III. ऋण और अग्रिम	360.42	104.57	464.99	267.34	197.65	221.01	-
कुल		3,07,491.70	10,659.54	3,18,151.24	2,71,085.78	47,065.46	46,174.10	
प्रभारित	V. राजस्व	37,923.21	1,633.08	39,556.29	38,734.59	821.70	315.89	38.44
	VII. पूंजीगत	5.44	4.18	9.62	9.58	0.04	0.05	100.00
	VIII. सार्वजनिक ऋण- पुनर्भुगतान	1,60,670.81	4,917.84	1,65,588.65	1,52,872.21	12,716.44	12,716.44	100.00
कुल		1,98,599.46	6,555.10	2,05,154.56	1,91,616.38	13,538.18	13,032.38	96.26
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		5,06,091.16	17,214.64	5,23,305.80	4,62,702.16	60,603.64	59,206.48	

स्रोत: विनियोग लेखे

नोट: उपरोक्त दर्शाया गया व्यय सकल आंकड़े हैं, जिनमें उन वसूली की राशियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें राजस्व शीर्षों (₹ 5,505.57 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 4,130.33 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया गया है।

उपरोक्त तालिका में दत्तमत अनुभाग में ₹ 47,065.46 करोड़ और प्रभारित अनुभाग में ₹ 13,538.18 करोड़ की बचत दर्शाई गई है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 63 अनुदानों और पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 60 अनुदानों में कुल मिलाकर ₹ 60,678.50 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो पूंजीगत अनुभाग की एक अनुदान में ₹ 74.86 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की निवल बचत रही। इसके अलावा निवल बचत का 2.30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक अभ्यर्पित नहीं किया गया। बजट के पूंजीगत दत्तमत व्यय में ₹13,532.40 करोड़ की उल्लेखनीय बचत, जो इस अनुभाग के मूल बजट का 28.49 प्रतिशत है, यह दर्शाती है कि राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

वर्ष के दौरान ₹ 17,214.64 करोड़ का लिया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा क्योंकि वर्ष के दौरान व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। अनुपूरक प्रावधान से कुल बचत में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के समुचित आकलन के बिना किए गए थे और यह कमजोर वित्तीय प्रबंधन की ओर भी दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बजट निष्पादन के विश्लेषण से वित्तीय नियंत्रण के तीन स्तरों: मूल अनुमान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग समायोजन की कमजोरियाँ सामने आती हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: बचत, अनुपूरक और पुनर्विनियोग का संचयी प्रभाव

स्तर	असमानता की प्रकृति	₹ प्रभाव (अनुमानित)
स्तर 1: निरन्तर बचतें (प्रत्येक अनुदान में 100 करोड़ से ज्यादा)	निरन्तर बचतें	₹ 40,385.12 करोड़
स्तर 2: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या उससे ज्यादा)	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	₹ 8,409.73 करोड़
स्तर 3: 13 मामलों में निष्फल/अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग का अस्पष्ट अनुमान	₹ 412.74 करोड़
मापनीय बजट विचलन		₹ 49,207.59 करोड़

लगभग ₹ 49,207.59 करोड़ का संचयी प्रभाव जो बचत, परिहार्य अनुपूरक प्रावधान, अस्पष्ट पुनर्विनियोग से उत्पन्न व्यय अनुमान- निधियों की आवश्यकताओं की मध्य-वर्षीय समीक्षा और वर्ष के दौरान व्यय की निगरानी में कमियों को दर्शाता है।

राज्य बजट तीन प्रकार के आँकड़े प्रस्तुत करता है: (i) बजट अनुमान: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, (ii) संशोधित अनुमान: चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों में संशोधन, और (iii) वास्तविक: पिछले वर्ष के अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान वर्तमान वर्ष में सरकार के वित्त का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे उस वर्ष में दर्ज वास्तविक लेनदेन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमानों से कम या अधिक हो सकते हैं और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में सहायक होती है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां तालिका 2.3 में दी गई हैं।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

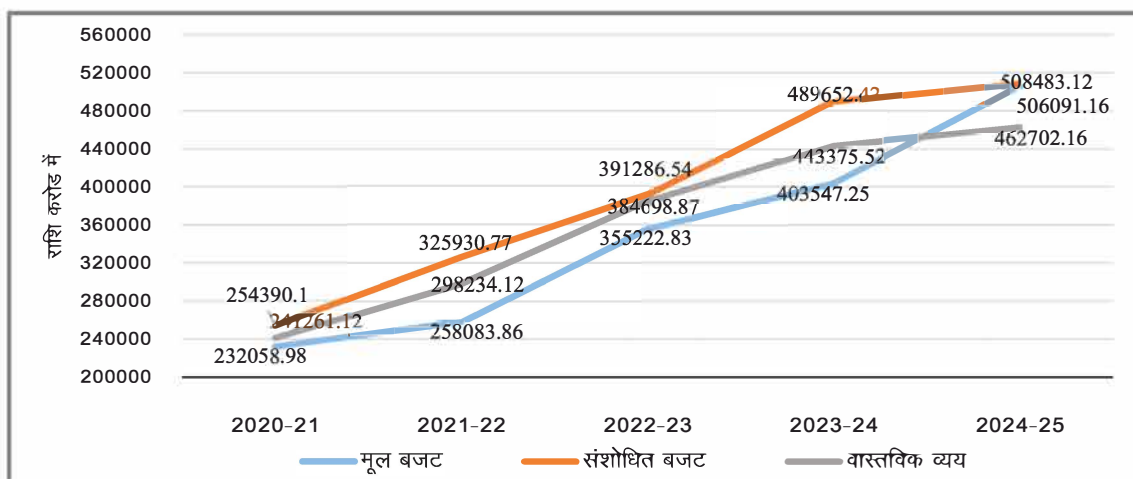
(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	2,32,058.98	2,58,083.86	3,55,222.83	4,03,547.25	5,06,091.16
अनुपूरक बजट	36,253.96	72,779.09	52,734.39	1,01,422.88	17,214.64
कुल बजट (टीबी)	2,68,312.94	3,30,862.95	4,07,957.22	5,04,970.13	5,23,305.80
संशोधित अनुमान (आरई)	2,54,390.10	3,25,930.77	3,91,286.54	4,89,652.42	5,08,483.12
वास्तविक व्यय (एई)	2,41,261.12	2,98,234.12	3,84,698.86	4,43,375.52	4,62,702.16
बचतें	27,051.82	32,628.83	23,258.36	61,594.61	60,603.64
मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक का प्रतिशत	15.62	28.20	14.85	25.13	3.40
कुल प्रावधान के सापेक्ष कुल बचत/अधिक्य का प्रतिशत	10.08	9.86	5.70	12.20	11.58
टीबी - आरई	13,922.84	4,932.18	16,670.68	15,317.71	14,822.68
आरई - एई	13,128.98	27,696.65	6,587.67	46,276.90	45,780.96
(टीबी - आरई) टी बी के % रूप में	5.19	1.49	4.09	3.03	2.83
(आरई - एई) टी बी के % रूप में	4.89	8.37	1.61	9.16	8.75

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹ 17,214.64 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 3.40 प्रतिशत थे, जबकि गत वर्ष यह 25.13 प्रतिशत थे।

चार्ट 2.1: आरई, बीई और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां



उपर दर्शाई गई तालिका और चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राज्य का संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा मूल बजट से अधिक रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान (आरई) और कुल बजट (टीबी) के बीच का अंतर ₹ 16,670.68 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 14,822.68 करोड़ रह गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-25 की अवधि में, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के वास्तविक व्यय (एई) से अधिक था। वर्ष 2021-22 आर ई और वास्तविक व्यय (एई) के बीच का अंतर ₹ 27,696.65 करोड़ से कम होकर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,587.67 करोड़ रह गया, लेकिन वर्ष 2024-25 में यह वापस बढ़कर ₹ 45,780.96 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो एई वर्ष 2022-23 में आरई से 1.61 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो गया।

इससे यह पता चलता है कि बजटीय प्रावधान असत्यापित प्रस्तावों पर आधारित थे, क्योंकि राज्य के बजट अनुमान सदैव बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए और वास्तविक व्यय कुल बजटीय प्रावधानों से कम रहा। फलस्वरूप, वर्ष 2024-25 में किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा, जबकि वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे।

यह दर्शाता है कि बजट तैयार करने से पहले उचित विश्लेषण नहीं किया गया था।

1. बजट और व्यय में विचलन

कई वर्षों में बजटीय प्रावधान राज्य की वास्तविक व्यय क्षमता से अधिक रहे।

2. संशोधित अनुमान संरेखण की सीमित प्रभावशीलता

संशोधित अनुमान निरंतर रूप से वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने में विफल रहे।

3. विधायी वित्तीय निरीक्षण पर प्रभाव

पर्याप्त बचतें बजटीय नियंत्रण की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

4. अनुपूरक - बचत में असंगति

उच्च अनुपूरक प्रावधानों के बाद कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बचतें यह संकेत देती हैं कि व्यय नियोजन में सुधार की पर्याप्त संभावना है।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार/सेवा-वार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण तालिका 2.4 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2024-25 के लिए घटक-वार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

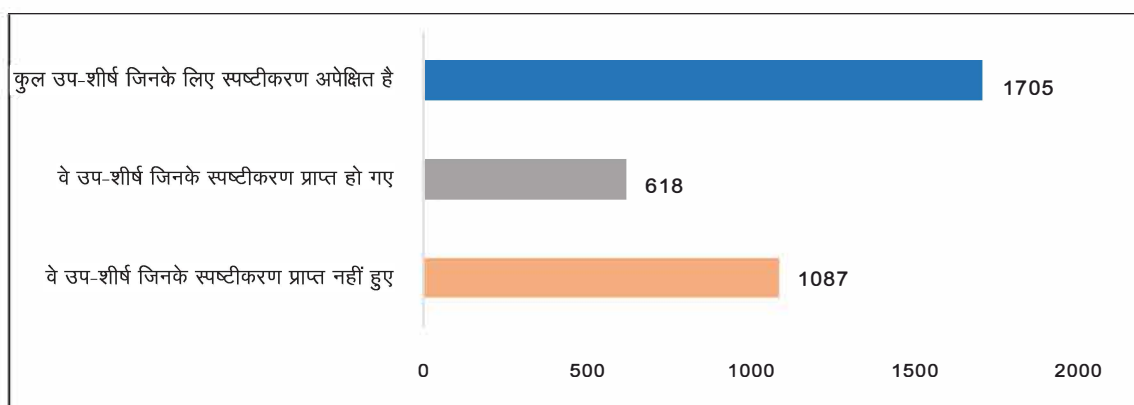
घटक	बजट	व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट के समक्ष व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	3,66,823.74	3,06,626.95	70.10	66.27	83.59
राज्य योजनाएं	1,13,097.65	1,12,811.24	21.61	24.38	99.75
सीएसएस के लिए केंद्रीयोंश	21,257.15	21,148.93	4.06	4.57	99.49
सीएसएस के लिए राज्योंश	19,079.44	19,067.22	3.65	4.12	99.94
ईएपी - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3,047.82	3,047.82	0.58	0.66	100.00
कुल	5,23,305.80	4,62,702.16			88.42

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि राज्य के बजट का दो-तिहाई से अधिक भाग प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन, अर्थ-सहाय्य, ब्याज भुगतान, सहायतार्थ अनुदान तथा अन्य मदें आदि हेतु प्रवाधित था, जिसमें से वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध व्यय हेतु किए गए बजटीय प्रावधानों में से 16.41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे।

महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा व्यय में अंतर अर्थात बचत/आधिक्य के संबंध में बजट नियंत्रक अधिकारियों से 1705 उप-शीर्षों पर स्पष्टीकरण मांगा गया तथापि, 1087 उप-शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2024)।

विनियोग लेखों में भिन्नताओं के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश चार्ट 2.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.2: भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा दी गई सूचना

बजटीय प्रावधानों और उनके उपयोग के बीच भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरणों की अनुपस्थिति, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

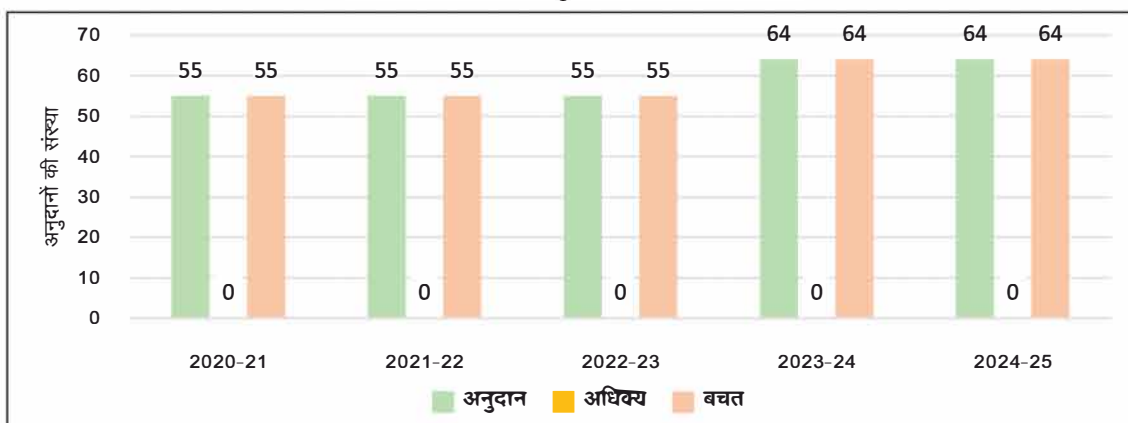
2.3 बजट की सटीकता

व्यय संरचना का आउटटर्न

व्यय संरचना का आउटटर्न यह मापता है कि बजट निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच किए गए पुनर्विनियोग ने व्यय संरचना में विचलन का किस सीमा तक योगदान दिया है।

अनुदानों, अधिक्य और बचतों का वर्ष-वार विश्लेषण, राज्य द्वारा किए गए बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसे चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदानें, अधिक्य और बचतें



स्रोत: विनियोग लेखे

आकड़े सूचित करते हैं कि व्यय नियंत्रणों ने आधिक्यों को रोका, वहीं सभी अनुदानों में बचत की एकसमान स्थिति बजट निर्माण और वास्तविक मांग के अनुमान में संरचनात्मक कमियों की ओर संकेत करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना का परिणाम तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय संरचना में समग्र विचलन

श्रेणी	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	(-) 12.84	0 to ± 25	49
		± 25 to ± 50	10
		± 50 to ± 100	2
पूंजीगत (दत्तमत)	(-) 28.69	0 to ± 25	10
		± 25 to ± 50	22
		± 50 to ± 100	24
		≥ 100	5
राजस्व (प्रभारित)	(-) 2.17	0 to ± 25	22
		± 25 to ± 50	7
		± 50 to ± 100	21
		≥ 100	5
पूंजीगत (प्रभारित)	(-) 7.91	0 to ± 25	3
		≥ 100	1

हालाँकि, राजस्व-दत्तमत के तीन अनुदानों, राजस्व-प्रभारित के नौ अनुदानों, पूंजीगत-दत्तमत के तीन अनुदानों और पूंजीगत प्रभारित श्रेणी के साठ अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 12.84 प्रतिशत रहा। यह मुख्य रूप से 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच और दस अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत के

बीच, दो अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। हालांकि, राजस्व-दत्तमत अनुभाग की तीन अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

इसी प्रकार पूंजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 28.69 प्रतिशत रहा। यह मुख्य रूप से 22 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। हालांकि, पूंजीगत-दत्तमत अनुभाग के तीन अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं, जिसकी तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदानों और प्रभारित विनियोग की राशि से की जाती है। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग के मुकाबले वास्तविक व्यय को स्पष्ट रूप से सकल आधार पर दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकरण के अनुरूप है और क्या संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने वाले आवश्यक व्यय को प्रभारित किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

2.5.1 कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा अनुमोदित अनुदान के अंतर्गत हो। एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, एक अनुदान के अंतर्गत बिना प्रावधान के ₹ 2.98 लाख का व्यय किए जाने का एक मामला पाया गया, जैसाकि नीचे तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: ऐसे मामले जहां बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1.	42-जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-03-001-02-02 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से	₹ 1000	0.00	(-) ₹ 1,000	0.00	2.98	2.98
	योग		₹ 1000	0.00	(-) ₹ 1,000	0.00	2.98	2.98

स्रोत: विनियोग लेखे

इस शीर्ष के तहत बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (नवंबर 2025)। बजट के बिना व्यय वित्तीय नियमों के साथ-साथ विधायिका के संकल्प का उल्लंघन है। यह सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन की कमी को भी दर्शाता है।

2.5.2 आधिक्य और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित करवाया जाए। हालांकि, इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा पूरी होने के बाद किया जाता है।

अ. वर्तमान वर्ष के दौरान आधिक्य

एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय किया जाएगा और न ही उन मदों पर व्यय किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि, समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था, तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान एक अनुदान के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकरण से ₹ 74.86 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ और संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत इसके नियमितीकरण की आवश्यकता है जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: 2024-25 के दौरान आधिक्य जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	अधिक व्यय की राशि
44	सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	74.86
कुल		74.86

स्रोत: विनियोग लेख

ब. गत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

पिछले वर्षों से संबंधित अधिक व्यय, जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण लंबित है, नीचे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 2.8: पिछले वर्षों से संबंधित अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	अधिक राशि जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
2022-23	21	सड़क और पुल (राजस्व-दत्तमत)	142.20
	-	लोक ऋण (पूँजीगत-प्रभारित)	20,927.41
2023-24	22	उच्च शिक्षा विभाग (राजस्व-प्रभारित)	1.32
	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूँजीगत-दत्तमत)	76.41
योग			21,147.34

स्रोत: विनियोग लेख

अनियमित अधिक व्यय का लगातार बने रहना, विशेषकर लोक ऋण के अंतर्गत उल्लेखनीय आधिक्य, बजट अनुमान और राजकोषीय पूर्वानुमान में कमियों को इंगित करता है। राज्य की 'समेकित निधि' से होने वाले व्यय पर विधायी अनुश्रवण को सुदृढ़ करने के लिए, इन अधिक व्ययों का शीघ्र नियमितीकरण आवश्यक है, और राज्य सरकार को ऐसे अधिक व्ययों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। अधिक व्ययों का नियमितीकरण नहीं किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, और यह सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 से 2023-24 के लिए अधिक व्यय के नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है।

2.5.2.1 कुछ अनुदानों में निरंतर अधिक व्यय

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि एक अनुदान के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में पिछले पाँच वर्षों में से चार वर्षों में लगातार ₹ पाँच करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसका विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान निरंतर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	अनुदान सं. 44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	अनुदान	0.00	₹1,000	0.00	414.62	298.84
	5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	व्यय	16.65	0.00	4.12	506.30	426.91
	02- महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें	अधिकता	16.65	(-)	4.12	91.68	128.07
	337-सड़क कार्य						
	(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से						

स्रोत: विनियोग लेखे

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान "44-सार्वजनिक निर्माण विभाग" के तहत अधिक व्यय मुख्य रूप से सीमा सड़क विकास मण्डल द्वारा सड़क कार्यों के लिए अधिक व्यय दर्ज करने के कारण हुआ। मण्डल ने बताया कि ये कार्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीधे भारत सरकार की स्वीकृतियों के अनुसार संपादित किए गए थे और इन कार्यों के लिए बजट प्रावधान की उपलब्धता के बिना वित्तीय वर्ष के समापन के बाद व्यय अंकित किया गया था।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की समेकित निधि से अनुमोदन से अधिक किए गए व्यय के संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान को कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत बजट प्रावधान से किया गया अधिक व्यय

एसबीएम के पैरा 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय किया जाएगा और न ही उन मदों पर व्यय किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसबीएम के पैरा 23.15.5 के अनुसार, यह आवश्यक है कि व्यय विवरण अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है, जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होगा। तथापि,

यह देखा गया कि 29 बजट शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया, यद्यपि समग्र अनुदान में कोई अधिकता नहीं थी। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 2.10: बजट प्रावधान से अधिक किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ+पु)	व्यय	अधिक व्यय
1	3-ब्याज अदायगियां	2049-01-123-01- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज-प्रतिबद्ध	725.03	726.47	1.44
2		2049-03-104-01-22- वर्ष 2004 से नियुक्त राज्य कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	532.64	532.70	0.06
3	7-मंत्रिपरिषद्	2013-105-01-03- अन्य मंत्रिगण द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध	0.10	0.13	0.03
4	9-निर्वाचन विभाग	2015-105-01- चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध	293.99	299.91	5.92
5		2015-106-01- चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध	60.57	60.66	0.09
6	15-पेंशन	2071-01-111-01-01- विधायकों को पेंशन एवं कौटुम्बिक पेंशन-प्रतिबद्ध	33.15	33.17	0.02
7	16-राजस्व विभाग	2053-094-02- तहसील कार्यालय-प्रतिबद्ध	395.47	395.50	0.03
8	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2235-60-107-01-स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध	9.99	10.14	0.15
9	18-गृह विभाग	4055-207-01-03- वित्तु पुलिस	7.01	7.07	0.06
10	19-कारागार विभाग	2056-001-01-01- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध	11.75	11.91	0.16
11	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-07-03- चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	0.03	0.10	0.07
12	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	4702-796-04-01- वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	159.78	159.87	0.09
13		2401-796-73-05- राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन: कृषि में ई-गवर्नेंस योजना-प्रतिबद्ध	0.14	0.35	0.21
14	35-अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-01-01- अनुप्रति योजना हेतु अनुदान	8.56	9.24	0.68
15	36-आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-106-08-01- सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	142.22	142.60	0.38
16		2245-02-107-02-01- बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	19.98	22.63	2.65
17	41-जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	2215-01-102-03- जनता जल योजनान्तर्गत संधारण-प्रतिबद्ध	262.79	262.99	0.20
18	42-जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-05-001-01-01- इंदिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध	8.70	8.73	0.03
19		2700-45-800-01- अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	15.57	15.62	0.05
20		4700-80-001-01-01- राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया	270.27	270.39	0.12
21		4701-80-800-03-01- निर्माण कार्य	19.41	20.33	0.92
22	43-सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	2705-101-01-06- कृषि प्रसार (स्टेज-II)	3.06	3.08	0.02
23	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02- संधारण एवं जीर्णोद्धार	89.25	127.50	38.25
24		5054-03-337-11- राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (एडीबी)	680.09	682.06	1.97
25		5054-02-337-03- सीमा सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	298.84	426.91	128.07
26	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-101-15-01- वनारोपण	2.27	2.30	0.03
27	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2406-01-789-05- जलवायु परिवर्तन और मरुप्रसार रोक	6.35	6.40	0.05
28	59-पर्यटन विभाग	3452-80-001-01-01- प्रशासनिक व्यय	18.14	18.17	0.03
29		3452-80-800-02- पर्यटक सूचना और प्रचार	66.21	66.28	0.07

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

वर्ष के दौरान अधिक व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग में, विशेष रूप से सीमा सड़क विकास मण्डल और संधारण तथा जीर्णोद्धार शीर्षों के अंतर्गत, हुआ। शेष अधिक व्यय मामूली और काफी हद तक तकनीकी प्रकृति के थे; तथापि, छोटे-मोटे विचलन भी इस बात की आवश्यकता को दर्शाते हैं कि व्यय की अधिक सुदृढ़ वास्तविक-समय निगरानी की जाए तथा बजटीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समय पर

अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जावे।

2.5.3 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए

संविधान का अनुच्छेद 205 मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित करता है। एसबीएम का पैरा 24.2 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी वस्तु या सेवा पर व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमंडल द्वारा एक अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य विधानमंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए 54 अनुदानों में ₹ 17,214.64 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2025 तक) को मंजूरी दी। यह पाया गया कि 21 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) भले ही ₹ 8,409.73 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे (*परिशिष्ट 2.1*), फिर भी वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया।

अनुदान में अनुपूरक प्रावधानों की शीर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है, जहाँ कुल अनुपूरक प्रावधान बाद में अनावश्यक सिद्ध हुए।

तालिका 2.11: शीर्ष-वार अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	कारण
1	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-114-01-राज्य गैरेज और ऑटोमोबाइल विभाग-प्रतिबद्ध	78.90	10.05	73.96	4.94	नए पद पर भर्ती न होना और पद रिक्त रहना, सक्षम स्तर से मंजूरी न मिलना।
2	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4202-01-201-01-90-निर्माण कार्य	₹ 1,000	3.86	0.00	₹ 1,000	स्वीकृति जारी न होने के कारण स्कूल की मरम्मत के लिए राशि का हस्तांतरण न होना।
3		4202-01-201-15-01-राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय	158.90	65.33	87.34	71.56	पीएमश्री योजना के तहत स्वीकृत राशि के मुकाबले कम राशि जारी होना।
4	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-101-01-साधारण व्यय-प्रतिबद्ध	10.00	6.00	8.56	1.44	सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना।
5	36-आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-01-04-बाढ़, ओलावृष्टि से बचाव एवं रोकथाम	157.20	552.20	0.00	157.20	बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सुरक्षा और रोकथाम के लिए तकनीकी समिति का गठन न होना।
6	38-सूचना एवं जन-संपर्क विभाग	4220-60-101-02-90-निर्माण कार्य	3.00	0.63	2.20	0.80	निर्माण कार्य पर कम व्यय होना।
7	39-नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	2217-80-191-05-जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान	₹ 2,000	44.95	0.00	₹ 2000	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
8	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-04-337-17-06-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXX (सड़क उन्नयन परियोजना)	206.07	92.62	197.26	8.81	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
9	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-001-02-अधीनस्थ और दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध	1.80	0.47	1.67	0.13	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
10	47-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	4403-101-11-01-निर्माण कार्य	15.42	13.33	13.08	2.34	निर्माण कार्य पर कोई व्यय नहीं होना।

क्र. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	कारण
11	48-उद्यानिकी विभाग	2401-119-26- प्रवाह सिंचाई से बूँद-बूँद सिंचाई में रूपांतरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सूक्ष्म सिंचाई)	303.35	54.06	281.72	21.63	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
12	50-सहकारिता विभाग	2425-800-02- सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	336.00	70.00	336.00	0	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
13	61-विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	3425-01-800-12-01- स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध	8.54	0.51	7.87	0.67	पद रिक्त रहना और और उप-केंद्र जयपुर द्वारा कम व्यय किया जाना।
		कुल	1,279.18	914.01	1,009.66	269.52	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 12 विभाग/अनुदानों के तहत, विभिन्न शीर्षों में अनुपूरक अनुदान के रूप में ₹ 914.01 करोड़ प्राप्त किए गए थे लेकिन संपूर्ण अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं आया।

चयनित शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान, स्वीकृतियों की प्राप्ति न होने, प्रशासनिक निष्क्रियता, तकनीकी तैयारियों के अभाव तथा कमजोर कार्यान्वयन क्षमता के कारण अनावश्यक सिद्ध हुए। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, 13 मामलों में, बड़ी मात्रा में आवंटित धनराशि पूरी तरह से अप्रयुक्त रह गई। यह प्रवृत्ति मध्य-वर्षीय व्यय आकलन में कमियों को दर्शाता है और अनुपूरक अनुदान की मांग से पहले अधिक सुदृढ़ जांच-पड़ताल की आवश्यकता पर जोर देता है।

इसी प्रकार, 13 अनुदानों में ₹ 8,663.31 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अनुदान-वार और विशिष्ट मद-वार अनुदान में अनुपूरक प्रावधानों की स्थिति, जहाँ कुल अनुपूरक प्रावधान बाद में अत्यधिक या अपर्याप्त पाए गए, **परिशिष्ट 2.2** में दी गई है।

ऐसे मामलों की प्रतिवर्ष पुनरावृत्ति यह संकेत करती है कि बजट प्रभाग अवास्तविक बजट निर्माण से बचने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।

इससे यह संकेत मिलता है कि मूल प्रावधान की पर्याप्तता का उचित आकलन किए बिना ही अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर लिए गए थे और इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कुल बजटीय बचत में वृद्धि हुई। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अनुपूरक प्रावधान संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/मुख्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के बिना किए गए थे।

चयनित अनुदान-वार अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान, दो अनुदानों, अनुदान संख्या 41 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) और अनुदान संख्या 46 (कृषि विभाग) को विस्तृत समीक्षा हेतु चयन गया। इन दोनों अनुदानों में अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों की स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है।

अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 46 की अनुदान समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि प्राप्त किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था; इसके परिणामस्वरूप काफी बचत हुई, जिसका विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: चयनित अनुदानों के तहत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अनुदान स.	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचत
41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पूँजीगत - दत्तमत)	4,084.50	98.53	3,634.38	548.65
46- कृषि (राजस्व- दत्तमत)	3,475.16	70.18	2,525.28	1,020.06
46- कृषि (पूँजीगत -दत्तमत)	149.59	54.72	148.80	55.51

स्रोत: विनियोग लेख

अनुदान-46 के तहत एक उपशीर्ष “6401-800-09-01-” में, ₹1,000 के मूल प्रावधान के समक्ष, ‘महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को ऋण’ के लिए ₹ 50 करोड़ की अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। हालाँकि, वास्तविक व्यय शून्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50 करोड़ की बचत हुई, जिसे 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने इस बचत का कारण विश्वविद्यालय के पास गत वर्ष की ऋण राशि की उपलब्धता होना बताया।

संबंधित विभागों को अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति से पूर्व वित्त विभाग (बजट), राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार के अवास्तविक बजटों की गहन जाँच की जानी चाहिए।

2.5.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोग किसी अनुदान के अंतर्गत एक विनियोग इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का हस्तान्तरण, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। एसबीएम के पैरा 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोग तभी अनुमेय है जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहाँ इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों के तहत ₹ 20,908.42 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए। सभी पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए थे।

यह देखा गया कि 13 मामलों में, पुनर्विनियोग अपर्याप्त/अत्यधिक या अविवेकपूर्ण साबित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में विस्तृत किया गया है। यह परिशिष्ट पुनर्विनियोग प्रबंधन में तीन विशिष्ट नियंत्रण विफलताओं को प्रकट करता है: (i) बढ़ते हुए अतिरिक्त व्यय के बावजूद कटौती, (ii) अविवेकपूर्ण वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, और (iii) अपर्याप्त वृद्धि जिसके कारण अंत में अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभाग द्वारा एक योजना में पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 24.91 करोड़ के प्रावधान में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से अधिक हुआ था। छह मामलों में, पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में ₹ 63.93 करोड़ की वृद्धि अनावश्यक साबित हुई, क्योंकि व्यय कुल उपलब्ध प्रावधान से कम रहा अथवा मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुँचा, और तीन मामलों में पुनर्विनियोग अत्यधिक था। इसी प्रकार, तीन मामलों में ₹ 134.50 करोड़ का पुनर्विनियोग अपर्याप्त था क्योंकि व्यय कुल उपलब्ध प्रावधान से अधिक था।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों ने सूचित किया कि पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियाँ संधारण और मरम्मत, कार्य की त्वरित प्रगति और जिलों में बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा कुछ शीर्षों में अंतिम आधिक्य/बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए थे।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया और पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं थी।

2.5.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचते/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि सभी संभावित व्ययों का उपयुक्त स्तर पर अनुकूलन हो सके, जिससे व्यय की गुणवत्ता संतुलित रहे और बजट निधियों का अपर्याप्त उपयोग कम किया जा सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंतर्गत निधियों के सर्वोत्तम पुनर्विनियोग हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

एसबीएम के पैरा 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करते समय गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए किए गए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ववर्ती आँकड़ों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि व्यय में वृद्धि अथवा कमी की कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति पहचानी जा सके, पूर्व वर्षों में कोई असामान्य स्थिति रही हो तो उसका आकलन किया जा सके, व्यय की गति में कोई नियमितता दिखाई दे तो उसे पहचाना जा सके तथा कोई विशेष घटना जो व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, उसे ध्यान में रखा जा सके।

उल्लेखनीय बचतें

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से यह पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच मामलों (पाँच अनुदानों के अंतर्गत) में ₹1,177.62 करोड़ की बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर) हुई, जो प्रत्येक मामले में ₹100 करोड़ से अधिक थी। विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अनुदानवार/शीर्षवार अंतिम बचत का विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

सम्बंधित आहरण एवं संवितरण/मुख्य नियंत्रक अधिकारी ने बचत के मुख्य कारण-मरम्मत और रखरखाव पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना और निर्माण कार्यों पर कम व्यय होना बताए हैं। इसके अलावा, युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत बचत का मुख्य कारण 27 मार्च 2025 को राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा ₹ 241.91 करोड़ चालान से जमा किए, क्योंकि युवा छात्रावास भवन बनाने की योजना रद्द कर दी गई थी। शेष अनुदानों में हुई अंतिम बचत के विस्तृत कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं बताए गए।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि दो अनुदानों में वर्ष 2024-25 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सम्पूर्ण अनुदान का अप्रयुक्त रहना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	राशि
1	57-पेट्रोलियम विभाग (पूँजीगत – दत्तमत)	400.00
2	58-स्नान विभाग (पूँजीगत – दत्तमत)	7.87
कुल		407.87

स्रोत: विनियोग लेखे

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों ने सूचित किया कि संबंधित कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के लिए नक्शा और उचित तकनीकी अनुमान प्रस्तुत न करने के कारण बजट प्रावधान की स्वीकृति नहीं मिल सकी और संशोधित परियोजना लागत के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निवेश शून्य रहा।

चयनित अनुदान-वार उल्लेखनीय बचतें

अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 46 की अनुदान समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभिन्न शीर्षों के तहत ₹10 करोड़ और उससे अधिक की पर्याप्त बचत पाई गई, जिसका विवरण निचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: अनुदानों के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत पायी गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत प्रतिशत
अनुदान संख्या 41					
1	2215-02-001-04 - शिल्प शाला	22.91	10.72	12.19	53.21
2	4215-01-101-01-17 पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइपलाइनों का बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु	20.40	5.86	14.54	71.27
3	4215-01-101-11-26 देवास जल प्रदाय योजना-तृतीय एवं चतुर्थ (शहरी)	119.35	14.69	104.66	87.69
4	4215-01-102-21-जनता जल योजना	20.00	7.13	12.87	64.35
5	4215-01-102-99-13 चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	13.74	1.29	12.45	90.61
6	4215-01-102-99-21 नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम	20.70	1.18	19.52	94.30
अनुदान संख्या 46					
7	2401-102-01-05 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन	26.28	5.43	20.85	79.34
8	2401-109-20-01 कृषि विभाग के माध्यम से	13.60	0.00	13.60	100.00
9	2401-110-02 फसल बीमा कृषि विभाग के अभिकरण के माध्यम से	1,400.00	718.10	681.90	48.71
10	2401-196-06-26 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन - कृषि अभियांत्रिकी	54.42	20.18	34.24	62.90
11	2401-196-06-37 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - पौष्टिक अनाज	75.90	29.68	46.22	60.90
12	2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	59.72	30.77	28.95	48.48
13	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	68.07	31.49	36.58	53.74
14	2435-60-800-02-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता	79.40	6.79	72.61	91.45

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025 में) कि बचत मुख्यतः पद रिक्त रहने, अनुमोदन एवं कार्यादेश जारी न होने, वन स्वीकृति संबंधी समस्याओं, कार्य की धीमी प्रगति, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों तथा न्यायालय में लंबित मामलों आदि के कारण हुई।

कृषि विभाग ने बताया (दिसंबर 2025) कि बचत मुख्यतः भारत सरकार से स्वीकृति/निधि का कम/न जारी होना, उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण निधि का हस्तांतरण नहीं होना, योजनाओं की गतिविधियों का अंतिम रूप न लेना, नवंबर 2024 से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में नई आय-व्यय प्रणाली एसएनए स्पर्श लागू होना तथा भारत सरकार से द्वितीय चरण की मुख्य स्वीकृति न मिलने आदि कारणों से हुई।

बजट आवंटन के विरुद्ध हुई उल्लेखनीय बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट निर्माण/अनुदान की मांगों की तैयारी तथा व्यय की निगरानी संबंधी एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह विभागीय स्तर पर कार्य प्रगति की कमजोर निगरानी को भी दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, दो चयनित अनुदानों की सात शीर्षों (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) में संपूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 2.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
अनुदान संख्या-41				
1	4215-01-101-11-22 परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	25.28	0.00	25.28
2	4215-01-101-11-23 नवनेरा जल प्रदाय परियोजना, जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	43.55	0.00	43.55
3	4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियाँ	40.00	0.00	40.00
4	4215-01-102-99-10 क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा	10.35	0.00	10.35
5	4215-01-102-99-18 मीनमाल एवं 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	13.74	0.00	13.74
अनुदान संख्या-46				
6	2401-109-20-01 कृषि विभाग के माध्यम से	13.60	0.00	13.60
7	6401-800-09-01 महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को ऋण	50.00	0.00	50.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग साते

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि पेयजल परियोजनाओं हेतु कार्यादेश जारी न किए जाने के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इसके पश्चात यह भी बताया गया कि यदि आरडब्ल्यूएसएससी (कार्यकारी एजेंसी) को इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जल जीवन मिशन गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रावधान किए गए हैं।

कृषि विभाग ने में सूचित किया (दिसंबर 2025) कि निधियों का अप्रयुक्त रहना योजनाओं की गतिविधियों के अंतिम रूप न लेने के कारण था।

अनुदान के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का बचत में परिवर्तित होना यह संकेत करता है कि बजट अनुमान यथार्थवादी रूप से तैयार नहीं किए गए। यह भी दर्शाता है कि व्यय के अनुमान संबंधी एसबीएम के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन विभागों एवं इन अनुदानों के बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की भारी समग्र शुद्ध बचत हुई।

निरंतर बचतें

निरंतर बचत का आशय है कि बजट शीर्ष में पिछले तीन वर्षों में प्रावधान के विरुद्ध लगातार ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत से है। यह भी देखा गया कि 26 अनुदानों के 35 मामलों में, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत (**परिशिष्ट 2.5**) थी।

संबंधित विभागों द्वारा दिए गए कारणों के अनुसार, निरंतर बचत मुख्यतः भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा हिस्सेदारी/निधि का कम/न जारी किया जाना था। अन्य कारणों में निधियों का कम हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न होना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम स्वीकृति (वित्तीय एवं प्रशासनिक) जारी करना, निर्माण कार्य का प्रारंभ न होना तथा कार्य की धीमी प्रगति आदि सम्मिलित थे। इस अवधि के दौरान निरंतर बचत इस बात का संकेत देती है कि अनुमानित व्यय के आंकलन में अवास्तविकता रही, व्यय पर कमजोर नियंत्रण रहा तथा वित्तीय अनुश्रवण में कमी रही।

निरंतर बचत की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की जाती रही है, किन्तु संबंधित विभागों द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु कोई ठोस सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे। ऐसे उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 2.16: ऐसे मामले जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नवीन योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1.	16- राजस्व विभाग	2029-103-(04)-[02] भू-प्रबंधन विभाग	₹ 6000	16.29	7.50
2.	18- गृह विभाग	4055-207-(01)-[01] पुलिस आधुनिकीकरण-आपराधिक शाखा	5.24	1.20	1.40
3.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	2205-102-(35)-[01] महात्मा गाँधी विद्यापीठ-गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	₹ 2000	6.30	1.25
4.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-(14)-[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.74	2.34	7.07
5.	30- जनजाति क्षेत्र विभाग	2202-01-796-(16)-[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	1.90	2.55	2.55
6.		2245-80-796-(01)-[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	₹ 2000	67.40	67.40
7.		4210-03-796-(04)-[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.10	1.10	1.70
8.		4215-01-796-(02)-[75] नलेरा जलापूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	₹ 1000	7.69	8.56
9.		4215-01-796-(04)-[08] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर जवाजा	8.31	0.78	1.95
10.		4215-01-796-(04)-[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करने की योजना	4.99	7.10	2.70
11.		4215-01-796-(04)-[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	4.99	0.71	1.56
12.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[01] लोक स्वास्थ्य	₹ 2000	100.00	100.00
13.		2245-08-101-(01)-[02] अग्नि से बचाव एवं रोकथाम	₹ 2000	100.00	100.00
14.		2245-08-101-(01)-[03] सूखा की रोकथाम एवं बचाव	₹ 2000	100.00	100.00
15.		2245-08-101-(01)-[04] बाढ़, ओलावृष्टि आदि से बचाव एवं रोकथाम	₹ 2000	135.60	709.40

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नवीन योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
16.	40- स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	52.43	69.24	72.70
17.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	3435-03-102-(10)-[01] सांभर झील प्रबंधन एजेंसी-पर्यावरण विभाग के माध्यम से	₹ 2000	1.00	1.00
18.		4406-02-110-(16)-[01] आकल बुड फॉसिल पार्क-विकास कार्य	₹ 1000	5.00	5.00
19.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-191-(50)-[17] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	5.38	1.97	2.06
20.		2217-80-192-(55)-[11] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	13.61	17.97	18.87
21.		2245-80-789-(01)-[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	₹ 2000	89.15	89.15
22.		3454-02-789-(13)-[01] राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर-सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	₹ 2000	2.30	1.80
23.		4215-01-789-(02)-[75] नवनेरा जलापूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	₹ 1000	10.14	11.28
24.		4215-01-789-(03)-[08] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन	11.52	1.03	2.70
25.		4215-01-789-(03)-[12] चंबल-धौलपुर-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग द्वितीय (नाबार्ड)	5.76	0.60	1.80
26.		4215-01-789-(03)-[16] भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	6.91	10.25	3.56
27.		4215-01-789-(03)-[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	6.91	0.94	2.16
28.		4215-01-789-(03)-[40] चित्तौर्गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	1.73	1.00	1.80
29.		4215-01-789-(03)-[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण,	2.74	7.71	1.80
30.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5475-800-(08)-[35] संपर्क केंद्र संचालन	₹ 1000	1.80	2.72

अंतर्दृष्टियाँ:

चूँकि संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, अतः यह प्रावधान राशि स्वयं अवरुद्ध राजकोषीय स्थान का प्रतिनिधित्व करती है:

- वित्तीय वर्ष 2022-23: सूचीबद्ध शीर्षों में अनुमानित संचयी प्रावधान: लगभग ₹ ~130 करोड़.
- वित्तीय वर्ष 2023-24: अनुमानित संचयी प्रावधान: लगभग ₹ ~740 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2024-25: अनुमानित संचयी प्रावधान: लगभग ₹ ~1,311 करोड़

लगातार तीन वर्षों तक विभिन्न विभागों में संपूर्ण बजटीय प्रावधान का अप्रयुक्त रहना इस तथ्य को दर्शाता है कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन की तत्परता तथा निष्क्रिय शीर्षों की आवधिक समीक्षा में प्रणालीगत कमियाँ विद्यमान हैं। ऐसे शीर्षों का लगातार बने रहना यह दर्शाता है कि वित्तीय विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक

निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्क्रिय योजनाओं की समीक्षा, समेकन अथवा समाप्ति पर विचार कर सके।

चयनित अनुदान-वार निरंतर बचत

अनुदान 41 और 46 के अभिलेखों के लेखा परीक्षा से यह पता चला है कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान 11 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) रही, जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत देखी गई निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	बचत (प्रावधान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत)		
		2022-23	2023-24	2024-25
अनुदान संख्या 41				
1.	2215-02-001-04 शिल्प शाला	10.22 (30.34)	15.62 (50.51)	12.19 (53.21)
2.	4215-01-101-11-10 पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर	5.73 (8.34)	52.34 (38.77)	29.94 (30.18)
3.	4215-01-102-99-13 चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	125.26 (100)	43.74 (96.39)	12.45 (90.61)
4.	4215-01-102-99-21 नागौर लिफ्ट योजना चरण- प्रथम	146.43 (98.12)	37.68 (92.90)	19.52 (94.30)
5.	4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन (JJM) की सहायक गतिविधियाँ	88.50 (100)	40.00 (100)	40.00 (100)
6.	4215-01-102-99-18 भीनमाल और 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	26.50 (100)	37.42 (100)	13.74 (100)
अनुदान संख्या 46				
7.	2401-196-06-20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	74.14 (48.34)	97.30 (64.56)	31.85 (20.60)
8.	2401-196-06-26 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि अभियांत्रिकी	19.59 (55.25)	25.81 (41.99)	34.24 (62.93)
9.	2401-196-06-37 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पौष्टिक अनाज	16.21 (53.25)	35.58 (60.98)	46.22 (60.90)
10.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	48.09 (78.59)	23.70 (38.74)	36.58 (53.74)
11.	2435-60-800-02-01 राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को सहायता	118.72 (96.76)	53.22 (65.12)	72.61 (91.44)

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख

कृषि विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि निरंतर बचत मुख्य रूप से विभिन्न कृषि योजनाओं की द्वितीय किस्त का हस्तांतरण न होना तथा एसएनए स्पर्श प्रणाली के क्रियान्वन में तकनीकी समस्या के कारण थी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि लगातार बचत पद खाली रहने, आवश्यक स्वीकृतियाँ और कार्य आदेश जारी न होने, भूमि प्राप्त करने में देरी, भूमि विवाद, चल रही परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर बजट प्रावधान में संशोधन के कारण हुई। इसके अलावा सूचित किया गया कि यदि आरडब्ल्यूएसएससी (कार्यकारी एजेंसी) को इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जल जीवन मिशन गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रावधान किए गए थे।

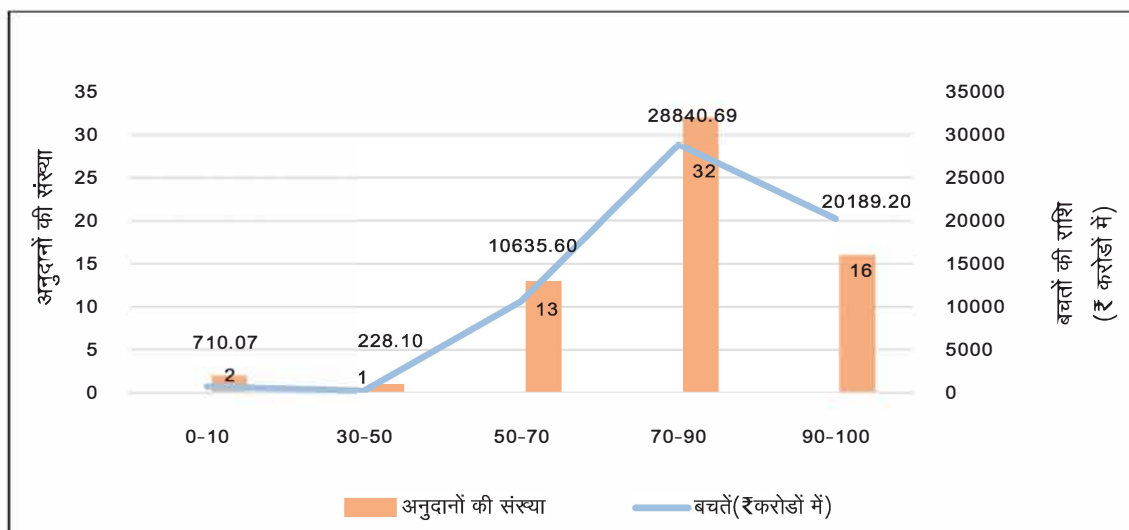
निरंतर बचत यह दर्शाती है कि विभाग इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु आवंटित बजटीय निधि का नियमित रूप से उपयोग नहीं कर सका। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निधि की आवश्यकता का आंकलन एवं बजट आवंटन पूर्व वर्षों के व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखे बिना किया गया था।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 76वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) में अनुशंसा की थी कि लगातार वर्षों में बचत होना बिना आवश्यकता के बजट का अधिक आंकलन तथा उचित अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। अतः विभागों को भविष्य में बजट अनुमान अधिक यथार्थवादी बनाने के प्रयास करने चाहिए। इन अनुशंसाओं के बावजूद, वर्ष 2024-25 में भी निरंतर बचत की घटनाएँ जारी रहीं।

अनुदानों के अंतर्गत प्रावधान का उपयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान का विवरण **परिशिष्ट 2.6** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है। कम उपयोग यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र पर कम ध्यान देने के साथ-साथ बजट निर्माण प्रक्रिया में कमी रही।

चार्ट 2.4: कुल बचत सहित उपयोगिता के प्रतिशत द्वारा समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण



स्रोत: विनियोग लेख

वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों में से 16 अनुदानों में बजट आवंटन का उपयोग 70 प्रतिशत से कम रहा। यह स्थिति उन मुद्दों की ओर संकेत करती है जिनकी गहन समीक्षा सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है, ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

विभागों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय बचतों के प्रमुख कारणों में शामिल थे-विभागों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त बचत का मुख्य कारण कार्य शुरू न करना, पीडब्लूडी द्वारा निर्माण कार्य का कम निष्पादन, नए कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, कार्य प्रारंभ नहीं होना, भारत सरकार से प्राप्त तृतीय और चतुर्थ किस्त जारी न होना और उसके आनुपातिक राज्यांश, एसएनए बैंक खाते में राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण योजनाओं की दूसरी किस्त का हस्तांतरण न करना, स्कूल भवन की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान के पीडी खाते में राशि का हस्तांतरण न करना, भारत सरकार से प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त न होना, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना, निर्माण कार्य पर कम स्वर्च, नाबार्ड के तहत राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिलना, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, फसल बीमा योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी और संशोधित परियोजना लागत के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होना।

विभिन्न शीर्षों में कम उपयोग और बार-बार होने वाली अल्प-उपयोग के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विभिन्न कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया तथा बजट निर्माण प्रक्रिया में कमी रही। अतः सरकार को विभिन्न अनुदानों में कम उपयोग के कारणों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित नहीं करना

एसबीएम के पैरा 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह देखा गया कि 54 अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत ₹ 1,543.39 करोड़ (परिशिष्ट 2.7) की राशि की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी, जिसे बचत के मुकाबले अन्य अनुदानों/ विनियोगों से ₹ 146.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया था और इस प्रकार वर्ष के अंत में राशि ₹ 1,397.16 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 11 अनुदानों से संबंधित ऐसे मामले पाए गए जहाँ ₹ 146.23 करोड़ की राशि बचत से अधिक अभ्यर्पित की गई, जैसाकि विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.18: ऐसे मामले जहाँ बचतों से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि	अतिरिक्त समर्पित राशि
राजस्व दत्तमत									
1	7	मंत्रिपरिषद्	21.65	0.60	22.25	19.02	(-) 3.23	3.26	0.03
2	9	निर्वाचन विभाग	552.09	0.00	552.09	493.00	(-) 59.09	59.20	0.11
3	17	सामान्य प्रशासन विभाग	339.41	30.90	370.31	343.69	(-) 26.61	26.65	0.04
4	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	11,685.96	0.00	11,685.96	10,488.53	(-) 1,197.43	1,198.54	1.11
5	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	246.61	0.00	246.61	199.75	(-) 46.85	47.55	0.69
6	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2,941.36	419.79	3,361.15	3,178.03	(-) 183.12	220.96	37.85
7	59	पर्यटन विभाग	109.91	0.00	109.91	93.76	(-) 16.15	16.26	0.11
पूंजीगत दत्तमत									
8	18	गृह विभाग	359.67	18.24	377.91	232.92	(-) 144.99	145.04	0.05
9	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,362.93	0.00	3,362.94	2,590.47	(-) 772.46	773.36	0.89
10	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8,173.69	403.69	8,577.38	8,652.25	(+) 74.86	30.48	105.35
		कुल	27,793.28	873.22	28,666.51	26,291.42	(-)2,524.79	2,521.30	146.23

स्रोत: विनियोग लेख

उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिक समर्पण के मामले मुख्यतः निम्न विभागों में केंद्रित हैं:

- लोक निर्माण विभाग (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों)
- जल संसाधन (अल्प अंतर)
- सामाजिक क्षेत्र विभाग (कम मार्जिन)

यह संकेत करता है:

- वर्ष के अंत में व्यय का पूर्वानुमान बिल बुकिंग के अनुरूप नहीं है।
- संभवतः समर्पण आदेश जारी होने के बाद व्यय का लेखांकन किया गया।
- सूत्र विभागों और वित्त विभाग के बीच कमजोर समन्वय रहा।

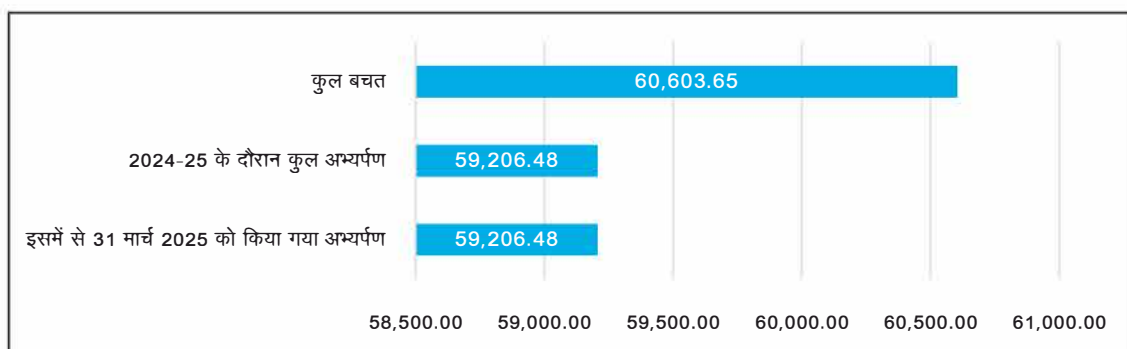
विभागों ने वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित करने का कारण प्रस्तुत नहीं किये (नवंबर 2025)।

ऐसे मामले, जहाँ अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक रही, यह दर्शाते हैं कि अभ्यर्पण के समय अप्रयुक्त शेष राशि के आकलन में त्रुटियाँ थीं। वास्तविक समय में व्यय के मिलान को सुदृढ़ करने तथा अभ्यर्पण आदेशों और व्यय की अंतिम लेखांकन के बीच समन्वय सुनिश्चित करने से बजट क्रियान्वन और राजकोषीय रिपोर्टिंग की सटीकता बढ़ेगी।

मार्च 2025 के अंतिम दिन बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट 2.5 में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ों में)



स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि कुल बचत का 97.69 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। ₹ 60,603.65 करोड़ की अभ्यर्पित राशि में से ₹ 59,206.48 करोड़ (97.69 प्रतिशत) 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। मार्च 2025 के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक) का विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिया गया है।

चयनित अनुदान जहां बचत पूरी तरह से अभ्यर्पित नहीं की गई

अनुदान संख्या 41 की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पांच मदों में, बचत पूर्ण रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.19: उन शीर्षों का विवरण जहां बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	मद	बचते	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
1.	2215-01-101-12 अन्य शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ-प्रतिबद्ध	78.13	73.45	4.68
2.	2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ-प्रतिबद्ध	68.63	62.98	5.65
3.	4215-01-101-01-02 अन्य शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ	101.81	101.71	0.10
4.	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ	71.30	71.17	0.13
5.	4215-01-102-19 चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जल प्रदाय योजना	8.77	8.38	0.39
	कुल	328.64	317.69	10.95

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि तकनीकी कारणों से कोषागारों द्वारा बिलों के ईसीएस का भुगतान न करने के कारण बचत मुख्य रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी।

यदि समय पर अभ्यर्पण किया जाता, तो संसाधनों का अधिक उत्पादक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता था जहाँ कमी थी। यह स्थिति दर्शाती है कि विभाग ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आकलन नहीं किया तथा मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण नहीं रखा।

2.5.6 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-I के नियम 338(1) में यह प्रावधान है कि अस्थायी संपत्तियों या सहायतार्थ अनुदान पर होने वाले व्यय को सामान्यतः पूंजीगत प्रकृति का व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30(1) के अंतर्गत दी गई टिप्पणी में भी यह उल्लेख किया गया है कि किसी अस्थायी परिसंपत्ति पर किया गया व्यय या स्थानीय निकायों अथवा संस्थानों को दिए गए सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय (ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से सम्बंधित होगी) सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, साथ ही, जब तक कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, इसे किसी पूंजीगत लेखा शीर्ष में नामे नहीं किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 931.66 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया था। लेखापरीक्षा ने इस राशि से संबंधित स्वीकृति आदेशों और व्यय वाउचरों की जांच की और यह पाया कि ₹ 931.66 करोड़ का राजस्व प्रकृति का व्यय पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किया गया था और यह व्यय संचालन, रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण आदि से सम्बंधित था। (परिशिष्ट 2.9)।

तालिका 2.20: विभाग-वार गलत वर्गीकरण का संकेंद्रण

विभाग	राशि (₹ करोड़ में)	% हिस्सा
सार्वजनिक निर्माण विभाग	611.34	65.6
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	158.69	17.0
जनजातीय क्षेत्र विकास (पीएमजीएसवाई)	133.66	14.3
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	22.77	2.4
जनजातीय क्षेत्र विकास (रखरखाव और मरम्मत)	5.20	0.6

(क) राज्य सरकार ने पूंजीगत अनुभाग में शीर्ष '4215-01-101-07-17-प्रमुख निर्माण कार्य' के अंतर्गत ₹ 20.97 करोड़ का बजट प्रावधान किया और ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता से संबंधित ₹ 22.77 करोड़ का व्यय दर्ज किया। इससे पता चलता है कि आवर्ती प्रकृति के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। वित्त (बजट) विभाग ने बताया (मई 2025) कि जांच के बाद अगले वर्ष आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

(ख) राज्य सरकार ने पूंजीगत अनुभाग में शीर्ष '4210-03-796-01-01-72-आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन' के अंतर्गत ₹ 8.79 करोड़ का बजट प्रावधान किया तथा ₹ 5.20 करोड़ का व्यय पूंजीगत शीर्ष में दर्ज किया, जबकि यह व्यय राजस्व व्यय शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि मरम्मत, पुनः वायरिंग और अनुरक्षण कार्य स्थायी एवं ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते, जैसा कि सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 में अपेक्षित है।

वित्त (बजट) विभाग ने सूचित किया (मई 2025) कि यह बजट शीर्ष पूंजीगत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन से संबंधित है, जिससे परिसंपत्तियों की स्थायित्व अवधि बढ़ती है। अतः जीवन चक्र दृष्टिकोण से यह व्यय पूंजीगत शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाउचरों की जांच से स्पष्ट हुआ कि व्यय अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण से संबंधित था और इसे लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 11(47-अ) के अंतर्गत मरम्मत में दर्ज किया जाना चाहिए।

- (ग) 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.71 और 10.72 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए अनुरक्षण अनुदान की अनुशंसा की गई थी। वर्ष के दौरान ₹ 903.69 करोड़ का प्रावधान शीर्ष 5054-04-789-13 (₹ 158.69 करोड़), शीर्ष 5054-04-796-16 (₹ 133.66 करोड़) एवं शीर्ष 5054-04-800-22 (₹ 611.34 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत किया गया, जबकि इसे राजस्व शीर्ष '3054-सड़क तथा सेतु' में किया जाना चाहिए था। ₹ 903.69 करोड़ का व्यय भी इन पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया, जबकि व्यय की प्रकृति के आधार पर इसे राजस्व शीर्षों में दर्ज किया जाना चाहिए था।

वित्त विभाग (बजट) ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (मई 2025) कि आवश्यक सुधारात्मक कदम अगले वर्ष उठाए जाएंगे।

राजकोषीय प्रभाव:

₹ 931.66 करोड़ के गलत वर्गीकरण के कारण:

- पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया
- राजस्व व्यय को कम बताया गया
- कृत्रिम रूप से सुधार दर्शाया गया:
 - राजस्व घाटे की स्थिति में
 - पूंजी निर्माण अनुपातों में

इस प्रकार, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज करना, सरकारी लेखा नियम और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने से राजस्व घाटा उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया। इससे राजकोषीय संकेतकों की शुद्धता प्रभावित होती है और यह इस बात को प्रभावित करता है कि व्यय दर्ज करते समय वर्गीकरण की गहन जांच को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

2.5.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा आरंभ की गई कई नीतिगत पहलें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिसके कारणों में योजना दिशा-निर्देश/प्रक्रियाओं की स्वीकृति का अभाव, प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने से

कार्य प्रारंभ न होना, बजट का निर्गमन न होना आदि शामिल थे। यह पाया गया कि 34 योजनाओं में ₹ 1,908.13 करोड़ (₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) का बजटीय प्रावधान संशोधित कर ₹ 1,429.64 करोड़ कर दिया गया, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 2.10** में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, 151 योजनाओं में ₹ 5,070.18 करोड़ का स्वीकृत प्रावधान, संशोधित प्रावधानों में पूर्णतः वापस ले लिया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 2.11** में दिखाया गया है।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में निर्माण कार्य पर कम व्यय, निविदा का रद्द होना, निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, योजना का अनुमोदन न होना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी न करना, कार्य का निष्पादन न होना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना, योजनाओं का प्रारंभ न होना, भूमि का आवंटन न होना, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना आदि शामिल थे।

वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव

वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इन प्रमुख नीतिगत पहलों (2019-24) की वर्तमान प्रगति के बारे में (जून-सितंबर 2025) सूचित किया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन परियोजनाओं/नीतिगत पहलों पर सीमित प्रगति हुई है या कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी बजट घोषणाओं को लागू नहीं किया गया था। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए हैं।

व्ययित अनुदानों में बजट घोषणाएँ

अनुदान संख्या 41 और 46 से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति **परिशिष्ट 2.12** में शामिल है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग की वर्ष 2021-23 की अवधि की बजट घोषणाएं अभी तक लंबित हैं, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करने की अनुमति तकनीकी बोली मूल्यांकन/सर्वेक्षण लंबित रहने के कारण प्रदान नहीं की।

पिछले और वर्तमान वर्षों के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव इस तथ्य का संकेतक है कि बजट भाषण में घोषित पहलों की निगरानी एवं अनुपालन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया।

2.5.8 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

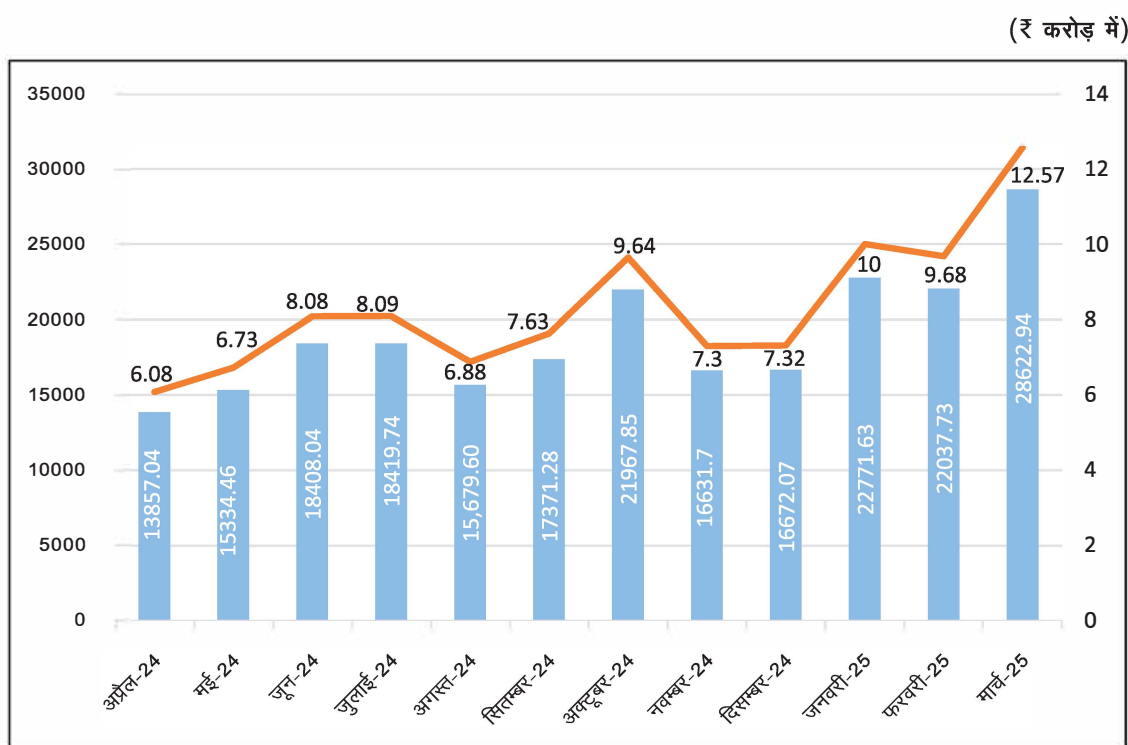
व्यय की एक समान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसबीएम के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष स्थिति का पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता हेतु सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह, वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार, राजस्व एवं व्यय के अपेक्षित प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए। वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया (अगस्त 2023) कि व्यय का प्रवाह इस प्रकार बनाए रखा जाए कि दिसंबर माह के अंत तक व्यय कुल का 90 प्रतिशत किया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

तालिका 2.21: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की प्रवाह

	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	92,548.85	30.83
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	39,605.16	13.19
वर्ष का अंतिम दिन (31 मार्च 2025)	3,609.55	1.20

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण एवं अग्रिम) और व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) की प्रवृत्ति क्रमशः **चार्ट 2.6** और **चार्ट 2.7** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का माह-वार प्रवृत्ति विश्लेषण

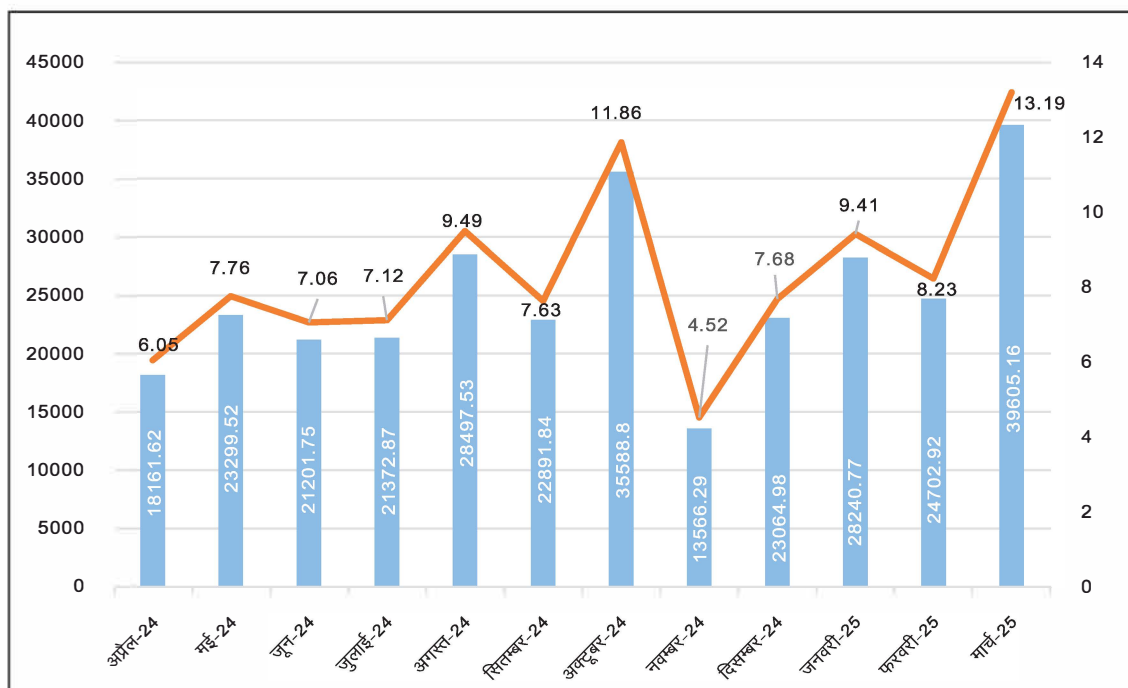


वर्ष 2024-25 के दौरान, यह देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,27,774.09 करोड़) में से का 32.24 प्रतिशत (₹ 73,432.30 करोड़) अकेले अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई।

माहवार प्राप्तियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राप्तियाँ अंतिम तिमाही, विशेषकर मार्च माह में केंद्रित रहीं, जो वर्ष भर में राजस्व प्राप्ति की असमानता को इंगित करता है। वर्ष के अंत में प्राप्तियों का ऐसा संकेन्द्रण अंतर-वर्षीय राजस्व पूर्वानुमानों की राजस्व अनुमानों की विश्वसनीयता और नकदी प्रबंधन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

चार्ट 2.7: व्यय का माह-वार प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)



माहवार व्यय की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि व्यय अंतिम तिमाही, विशेषकर मार्च माह में केंद्रित रहा, जो वर्ष भर में व्यय की असमानता को दर्शाता है। इस प्रकार का संकेन्द्रण नकदी प्रबंधन की दक्षता तथा व्यय की निगरानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

सात मुख्य शीर्षों जिनमें मार्च के महीने में किया गया व्यय, कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण, नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:

तालिका 2.22: वर्ष 2024-25 में मार्च माह के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष

(₹ करोड़ों में)

क्र. संख्या	लेखा मद	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में व्यय	कुल	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च का प्रतिशत
1	2403	पशु-पालन	352.95	901.11	609.44	844.72	1,393.08	2,708.21	31.19	51.44
2	3054	सड़क तथा सेतु	-6.78	275.60	81.14	2,871.43	2,327.79	3,221.39	89.14	72.26
3	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	21.13	77.51	-3.88	87.74	94.76	-	92.59
4	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	100.00	100.00
5	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	100.00	99.98
6	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	-0.37	0.30	4.54	2.88	4.46	101.62	64.49
7	6408	साद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	65.59	56.64	65.59	100.00	86.36
		कुल	346.17	1197.47	768.39	3,953.48	4,039.23	6,265.51	63.10	64.47

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इसके अलावा, 23 उप-शीर्षों में ₹ 941.72 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय केवल मार्च 2025 माह में किया गया था (**परिशिष्ट 2.13**)।

आंकड़े यह दर्शाते हैं कि:

- पूंजीगत शीर्ष वर्ष के अंत में लेखांकन में अत्यधिक संकेन्द्रण हैं।
- व्यय की गति त्रैमासिक वितरण के अनुरूप नहीं है।
- मार्च माह में लंबित बिलों का निपटान संभावित है।
- व्यय के समान चरणबद्ध वितरण के लिए आवश्यक व्यय नियंत्रण दिशा-निर्देशों का सीमित अनुपालन।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट से बचा जा सकता है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान व्यय को चरणबद्ध रूप से नियंत्रित करने हेतु त्रैमासिक प्रतिशत (प्रथम तिमाही-30 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही-30 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही-10 प्रतिशत) निर्धारित किए हैं। विनियोग लेखों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 1,27,934.07 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जो कुल व्यय (₹ 4,53,066.25 करोड़) का 28.23 प्रतिशत था और अकेले मार्च 2025 में ₹ 51,153.41 करोड़ (11.29 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। सभी अनुदानों में किए गए व्यय का तिमाही विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिखाया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्ति निर्धारित त्रैमासिक व्यय मानदंडों के अनुरूप नहीं रही। यद्यपि, वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि दिसंबर माह तक 90 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए, वास्तविकता में कुल व्यय का 30.83 प्रतिशत (₹ 92,548.85 करोड़) अंतिम तिमाही में किया गया, जिसमें 13.19 प्रतिशत (₹ 39,605.16 करोड़) अकेले मार्च माह में ही व्यय हुआ, जिसमें वर्ष के अंतिम दिन व्यय किये गए ₹ 3,609.55 करोड़ शामिल है। प्राप्तियों में भी इसी प्रकार का संकेन्द्रण देखा गया, जहाँ 32.24 प्रतिशत प्राप्तियाँ अंतिम तिमाही में हुईं। माहवार प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि राजस्व एवं व्यय दोनों का वर्षांत में अत्यधिक संकेन्द्रण हुआ, जो वित्तीय संचालन की असमान गति को दर्शाता है।

पूंजीगत शीर्षों में यह संकेन्द्रण और अधिक स्पष्ट था, जहाँ कुछ प्रमुख शीर्षों में वार्षिक व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मार्च माह में ही किया गया तथा 23 उप-शीर्षों में ₹ 941.72 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च माह में ही हुआ। चयनित अनुदानों की विस्तृत जांच से यह पाया गया कि अंतिम तिमाही में व्यय 40 से 94 प्रतिशत तक रहा। विभागों द्वारा बताए गए कारण-संशोधित प्रावधानों को जारी करने में देरी, बिल जमा करने में देरी और प्रक्रिया से जुड़ी रुकावटें वर्ष के दौरान किये जाने वाले नियोजन और अनुश्रवण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। यह प्रवृत्ति इस आवश्यकता को दृष्टिगत करती है कि त्रैमासिक समीक्षा को सुदृढ़ किया जाए, बजट समायोजन समय पर किए जाएँ तथा वित्तीय निर्गम को भौतिक प्रगति के अनुरूप संरेखित किया जाए, ताकि संतुलित एवं दक्ष राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

चयनित अनुदान-वार व्यय के प्रवाह का विश्लेषण

अनुदान संख्या 41 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदान के तहत तीन योजनाओं में अंतिम तिमाही में किया गया व्यय कुल व्यय का 44 से 94 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति बनाए नहीं रखी जा सकी।

तीन योजनाओं का विवरण, जिनमें अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक था, नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.23: वर्ष 2024-25 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही का प्रतिशत
1	4215-01-101-11 अभिवृद्धि शहरी जल आपूर्ति योजना	76.89	91.58	221.81	302.80	693.08	44
2	4215-01-102-01 अभिवृद्धि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	2.03	2.48	2.89	113.30	120.70	94
3	4215-01-102-79 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	29.64	18.45	18.26	44.81	111.16	40

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि राज्य सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए संशोधित बजटीय प्रावधान केवल उसी माह में उपलब्ध कराए जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। इसके कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में, संभागीय कार्यालयों में लंबित बिलों एवं नियमित बिलों का भुगतान पूर्व बजट के अभाव में किया गया। परिणामस्वरूप, अधिकतम व्यय उसी महीने में हुआ जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। इसके अतिरिक्त, अधिकांश बिल भी ठेकेदारों द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के अत्यधिक संकेन्द्रण को पर्याप्त रूप से उचित नहीं ठहराता। प्रभावी बजट प्रबंधन हेतु समय पर पुनर्मूल्यांकन एवं निधियों का चरणबद्ध निर्गमन आवश्यक है, जो कार्यों की भौतिक प्रगति के अनुरूप हो। अंतिम तिमाही में संचित बिलों का भुगतान पूर्व तिमाहियों में व्यय योजना एवं निगरानी की कमियों को दर्शाता है।

इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा अधिकांश बिलों का अंतिम तिमाही में प्रस्तुत किया जाना माइलस्टोन-आधारित बिलिंग के कमजोर प्रवर्तन तथा अपर्याप्त वित्तीय पर्यवेक्षण को दर्शाता है। कुछ योजनाओं में अंतिम तिमाही में व्यय 94 प्रतिशत तक होना व्यय प्रबंधन की असमानता को दर्शाता है और अंतर-वर्षीय बजटिंग एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को मजबूत करने का आह्वान करता है।

इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदान संख्या 46-(कृषि विभाग) के तहत छह योजनाओं में व्यय अंतिम तिमाही में कुल व्यय का 34 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति बनाए नहीं रखी जा सकी। ऐसी योजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.24: वर्ष 2024-25 के दौरान अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय में चौथी तिमाही का प्रतिशत
1.	2401-109-16 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन	6.62	3.39	2.89	18.71	31.61	59.19

क्र. संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय में चौथी तिमाही का प्रतिशत
2.	2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएं	4.41	42.59	50.10	219.78	316.90	69.35
3.	2401-800-27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	3.59	2.39	0.54	24.25	30.77	78.81
4.	2401-800-37 राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना (वि.के.स.)	9.36	0.00	0.00	22.13	31.49	70.28
5.	2415-01-277-01 विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा	68.59	79.07	72.45	115.53	335.65	34.42
6.	6408-02-190-01 गोदामों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	65.59	65.59	100

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना

कृषि विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि व्यय की अधिकता का कारण संबंधित संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष के अंतिम महीनों में बिलों का प्रस्तुत किया जाना, निविदा प्रक्रिया का अंतिम माह में पूर्ण होना, कार्यों की वित्तीय स्वीकृति का अंतिम माह में प्राप्त होना तथा नए आय-व्यय प्रणाली में तकनीकी समस्याएँ थीं। इन कारणों से प्रारंभिक महीनों में व्यय की गति धीमी रही और परिणामस्वरूप अंतिम माह में व्यय अधिक हुआ।

2.6 राज्य में चयनित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने यह अनिवार्य किया (मार्च 2021) कि प्रत्येक केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से धन जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया। प्रत्येक एसएनए के पास एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में समर्पित बैंक खाता होना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित एसएनए के खाते में राज्य अंश के साथ हस्तांतरित करना आवश्यक है। राज्य सरकार को केंद्रीय अंश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर केंद्रीय अंश तथा समतुल्य राज्य अंश एसएनए खाते में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (29 अगस्त 2022) कि राज्य में सभी सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इन योजनाओं को पीएफएमएस. पोर्टल पर भी लिंक कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को अपने कोषागार खाते में ₹ 12,265.55 करोड़ का केंद्रीय अंश प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने ₹ 27,280.40 करोड़ {केंद्रीय अंश ₹ 13,923.76 करोड़ (जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त निधियाँ भी सम्मिलित हैं) तथा राज्य अंश ₹ 13,356.64 करोड़} एसएनए को हस्तांतरित किए। पीएफएमएस आँकड़ों (31.03.2025 तक) के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं :

- राज्य सरकार ने मार्च 2025 में ₹ 2,606.27 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिसमें से ₹ 2,444.83 करोड़ 31 मार्च 2025 तक एसएनए के बैंक खातों में हस्तांतरित नहीं किए गए थे।
- 76 योजनाओं के एसएनए बैंक खातों में ₹ 3,407.10 करोड़ की अनुपयोगी शेष राशि पड़ी है, जैसाकि **परिशिष्ट 2.15** में विस्तृत विवरण दिया गया है, इन शेष राशियों को संबंधित सरकारी

स्वाते में वापस किया जाना था। इतनी बड़ी राशि का एसएनए बैंक स्वातों में बिना वापसी के रखा जाना वर्ष 2025-26 में निधियों की समय पर जारी करने को प्रभावित कर सकता है।

- पीएफएमएस- एसएनए की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को “आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन” योजनाओं के तहत वस्तु (कमोडीटी) के रूप में ₹ 179.26 करोड़ सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ।
- एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे।

केंद्र एवं राज्यों दोनों के स्तर पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने हेतु भारत सरकार ने (जुलाई 2023) सीएसएस निधियों के लिए एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत पीएफएमएस, राज्य आईएफएमएस तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से निधि प्रवाह तंत्र “एसएनए-स्पर्श” (त्वरित अंतरण हेतु एकीकृत वास्तविक समय प्रणाली) नामक निधि प्रवाह तंत्र शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत, राज्य सरकार को सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करनी थी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचित किया (21 मई 2024 एवं 04 अक्टूबर 2024) कि 28 सीएसएस योजनाएँ दिनांक 1 जून 2024 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से लागू की जाएँगी तथा भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 37 अतिरिक्त सीएसएस योजनाएँ 1 जुलाई 2025 से सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों में एसएनए-स्पर्श के माध्यम से लागू की जाएँगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 1 नवंबर 2025 से सभी सीएसएस योजनाएँ एसएनए-स्पर्श के माध्यम से सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएँगी।

पीएफएमएस आँकड़ों (31.03.2025 तक) के अनुसार निम्नलिखित अवलोकन किये गए:

- योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से एसएनए-स्पर्श पर ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में 6 योजनाएँ (21 जून 2024), 15 योजनाएँ (28 जून 2024) तथा 4 योजनाएँ (14 अक्टूबर 2024) अनुमोदित कीं।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09 अगस्त 2024 के अनुसार, राज्य को कम से कम पाँच केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को 31 जनवरी 2025 तक एसएनए-स्पर्श मॉडल पर ऑन-बोर्ड करने तथा राज्य के आई.एफ.एम.आई.एस. को पी.एफ.एम.एस. एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम से एकीकृत करने पर ₹ 250 करोड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को 28 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को एसएनए स्पर्श मॉडल पर ऑन-बोर्ड करने के लिए ₹ 500.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।
- 31 मार्च, 2025 तक, राजस्थान सरकार ने 28 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को ऑन-बोर्ड कर लिया है, जिनके अंतर्गत 70 राज्य संबद्ध योजनाएं (एसएलएस) शामिल हैं।

तालिका 2.25: वर्ष के दौरान पांच सर्वाधिक व्यय वाली केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया केन्द्रीय अंश	वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार राज्य का अंश	जारी किया गया राज्य अंश	कुल जारी राशि	व्यय
1.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	समग्र शिक्षा	3,093.05	2,981.32	2,060.43	9,563.48	12,544.80	12,544.80
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,584.59	1,944.10	1,056.39	1,677.78	3,621.88	3,621.88
3.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1,370.76	2,016.88	427.78	592.99	2,609.87	2,609.87
4.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम)	597.87	600.92	398.58	475.09	1,076.01	1,076.01
5.	आवास और शहरी मामलात मंत्रालय	शहरी पुनरुत्थान मिशन-शहर	386.17	439.43	386.17	567.49	1,006.93	1,006.93

उपरोक्त योजनाओं, के विश्लेषण में यह देखा गया कि:

- उपरोक्त पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) में से केवल एक योजना “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम” को ही एसएनए स्पर्श मॉडल पर सम्मिलित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत, पांच राज्य संबद्ध योजनाओं (एसएलएस) में से केवल दो एसएलएस योजनाओं, “मनरेगा-सामग्री आरजे” और “मनरेगा-प्रशासन” को ही एसएनए-स्पर्श के साथ जोड़ा गया है।
- इन उपरोक्त पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के एसएनए खातों में ₹ 436.35 करोड़¹ की राशि अव्ययित थी।

पाँच सर्वाधिक व्यय वाली केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का वर्ष 2024-25 में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया। तथापि, कई योजनाओं में, राज्य द्वारा जारी अंश निधि, निधि पैटर्न के अंतर्गत निर्धारित अंश से अधिक रही। यह स्थिति निधि घटकों के सामंजस्य तथा केंद्र एवं राज्य अंशदान की गहन निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि अनुमोदित मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और वित्तीय रिपोर्टिंग सटीक रहे।

2.7 चाइल्ड बजट

चाइल्ड बजट राज्य सरकार की उन योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो बच्चों पर केंद्रित हैं और जिन्हें एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से आवंटित किया जाता है। राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट विवरण तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित किया। प्रथम चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत किया गया था।

- (i) समग्र शिक्षा: ₹ 147.60 करोड़; (ii) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन: ₹ 19.18 करोड़; (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम: ₹ 16.22 करोड़; (iv) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम): ₹ 14.48 करोड़ और (v) शहरी पुनरुत्थान मिशन-शहर: ₹ 238.87 करोड़।

वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने बाल-विशिष्ट योजनाओं हेतु ₹ 46,889.78 करोड़ (राज्य के कुल बजट का 8.96 प्रतिशत) आवंटित किया, जो पिछले वर्ष (₹ 39,693.08 करोड़) के चाइल्ड बजट की तुलना में 18.13 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2024-25 के दौरान, चाइल्ड बजट के अंतर्गत आवंटित निधि एवं व्यय व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.26: वर्ष 2024-25 के दौरान चाइल्ड बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान के उपयोग का प्रतिशत
₹ 46,889.78	₹ 38,925.35	83.01

स्रोत: वर्ष 2024-25 के बजट और विस्तृत विनियोग लेखा के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान 174 योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 18 विभागों में ₹ 46,889.78 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 85.15 प्रतिशत बजट अनुमान का उपयोग किया गया था। आगे, विश्लेषण से यह तथ्य सामने आए:

- 11 विभागों² की 37 योजनाओं (174 में से) में ₹ 2,795.93 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 612.45 करोड़ का उपयोग 20 योजनाओं में किया गया, जो 0.78 से 34.69 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए विवरण के अनुसार, 17 योजनाओं में व्यय शून्य रहा।
- राज्य सरकार ने 31 (174 में से) योजनाओं में टोकन प्रावधान किया था और प्रावधान में वृद्धि किए बिना पूरे प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा 9 योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे।

पिछले दो/तीन वर्षों से पाँच विभागों की सात योजनाओं में अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया गया, जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.27: पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान अनुपयोजित प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
1.	अल्पसंख्यक मामलात विभाग (58)	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	12.61	13.95	—
2.	बाल अधिकारिता विभाग (259)	बाल गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	1.45	1.74
3.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सहरिया क्षेत्र के जनजातीय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता (3029)	2.55	2.55	—
4.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	5.00	—
5.		सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	1.40	1.40	1.75
6.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	50.00	11.56	—
7.		छात्रावास में रहने वालों के लिए साइकिल वितरण योजना (2541)	2.74	0.50	1.80

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि बजट की उपलब्धता के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया। यह संबंधित विभाग के स्तर पर क्रियान्वयन

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) विभाग, परिवार कल्याण विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, मिड-डे मील राजस्थान, एकीकृत बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं को क्रियान्वित न करने के कारणों से विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

बाल विकास विभाग ने सूचित किया (जून 2025) कि कम व्यय का कारण भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना था। आयुक्त, मिड-डे मील, राजस्थान जयपुर ने सूचित किया (जून 2025) कि कम व्यय वित्त विभाग द्वारा निधियाँ जारी न किए जाने के कारण हुआ। निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि कम उपयोग का कारण कम आवेदन प्राप्त होना तथा संस्थाओं द्वारा बजट की माँग न करना था। विभिन्न विभागों से अन्य योजनाओं में कम/शून्य व्यय के कारण प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कम/शून्य व्यय, महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल विभाग) द्वारा उचित निगरानी की कमी और योजनाओं के क्रियान्वन में विभागों की शिथिलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में प्रावधान न करना तथा टोकन प्रावधान में वृद्धि हेतु राशि उपलब्ध न कराना भी विभाग स्तर पर शिथिलता तथा नोडल विभाग एवं वित्त विभाग स्तर पर निगरानी की कमीयों को इंगित करता है, जिससे चाइल्ड बजट का प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

प्रमुख योजनाएँ जिनमें निधियाँ अप्रयुक्त रहीं, वे निम्नलिखित थीं:

- छात्रवृत्ति
- जनजातीय शिक्षा
- बालिका प्रोत्साहन योजनाएँ
- आंगनवाड़ी अवसंरचना
- पोषण कार्यक्रम
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग श्रेणियों का कल्याण

चयनित कल्याण एवं शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत केवल 21.91 प्रतिशत उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन तत्परता तथा वर्ष के दौरान निगरानी में महत्वपूर्ण कमियाँ रही हैं। अनेक योजनाओं में शून्य व्यय की स्थिति यह दर्शाता है कि निष्क्रिय मदों का युक्तिकरण, क्रियान्वयन अवरोधों की समय पर समीक्षा तथा बजट प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन क्षमता के अनुरूप संरेखण आवश्यक है, ताकि सामाजिक क्षेत्र के लाभों की प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके।

2.8 जेंडर बजट

जेंडर उत्तरदायी बजटिंग एक ऐसा साधन है जो राज्य के विशिष्ट लैंगिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करता है। यह समग्र बजट का हिस्सा है और महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु अभिप्रेत है। जेंडर बजटिंग का एक उद्देश्य राज्य बजट में योजनाओं का समेकन करना है, जिससे लैंगिक आधारित विश्लेषण को सुगम बनाया जा सके। राज्य में जेंडर बजटिंग का विनियमन राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसके अंतर्गत वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। राज्य सरकार ने जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु महिला अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग नामित किया है। जेंडर बजट में सम्मिलित योजनाओं की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

अ	ऐसी योजनाएँ जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए किया गया प्रावधान 70 प्रतिशत से अधिक है।
ब	ऐसी योजनाएँ जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए किया गया प्रावधान 70 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, जेंडर बजट के अंतर्गत कुल 538 योजनाएँ/कार्यक्रम सम्मिलित थे, जिनमें 104 'क' श्रेणी की योजनाएँ तथा 434 'ख' श्रेणी की योजनाएँ थीं, जिनसे 13.46 करोड़ महिलाएँ/बालिकाएँ लाभान्वित हुईं। राज्य सरकार ने जेंडर बजट हेतु ₹ 54,015.36 करोड़ का आवंटन किया, जो 2024-25 के कुल राज्य बजट³ का 10.32 प्रतिशत था। यह प्रावधान वर्ष 2023-24 में किए गए बजट प्रावधान (₹ 38,679.43 करोड़) की तुलना में 39.65 प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में 104 'क' श्रेणी एवं 434 'ख' श्रेणी योजनाओं के अंतर्गत जेंडर बजट का वर्षवार आवंटन एवं व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.28: जेंडर बजटिंग के बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	वर्ष	जेंडर बजट में शामिल योजनाओं में कुल बजट प्रावधान	जेंडर बजट की ऐसी योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान	योजनाओं में वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	2019-20	37,415.03	18,928.78	15,700.39	82.94
2.	2020-21	28,595.68	14,481.66	15,202.61	104.98
3.	2021-22	35,730.36	18,198.64	18,155.67	99.77
4.	2022-23	69,851.91	33,745.11	28,630.92	84.84
5.	2023-24	76,614.07	38,679.43	33,812.88	87.42
6.	2024-25	1,15,890.09	54,015.36	47,181.27*	87.35

स्रोत: बजट दस्तावेज और विभागीय उत्तर

* स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत योजनाओं का व्यय विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 538 योजनाओं में से, श्रेणी 'क' की 16 योजनाओं के अंतर्गत 9 विभागों द्वारा ₹ 153.65 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया तथा श्रेणी 'ख' की 80 योजनाओं के अंतर्गत 32 विभागों द्वारा ₹ 1,008.43 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया।

जेंडर बजट विवरण में सम्मिलित अनेक योजनाओं में ₹ 1,162.08 करोड़ के बजटीय प्रावधान के बावजूद व्यय न होने से यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक केंद्रित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन योजना एवं निगरानी में कमियाँ रही हैं। श्रेणी 'क' एवं श्रेणी 'ख' दोनों योजनाओं में शून्य उपयोग से यह संकेत मिलता है कि जेंडर बजट ढाँचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि आवंटन वास्तविक व्यय एवं महिलाओं को लक्षित लाभों में परिवर्तित हो सके।

जेंडर बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा बजट आवंटन के विरुद्ध शून्य व्यय वाली योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने 22 विभागों की 47 योजनाओं में टोकन प्रावधान किया था, किन्तु संपूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। यह दर्शाता है कि जेंडर बजट के अंतर्गत दर्शाई गई अनेक योजनाएँ वास्तव में संबंधित विभागों द्वारा निधि उपलब्ध न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की गईं।

3 ₹ 5,23,305.80 करोड़ (विनियोग लेखे)

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,003.18 करोड़ का कुल बजट प्रावधान किया था, जिसे संशोधित बजट अनुमान में घटाकर ₹ 96.97 करोड़ कर दिया गया (महिलाओं हेतु ₹ 1,112.87 करोड़ का प्रावधान भी उसी अनुपात में घटाया गया), जैसाकि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि पिछले दो/तीन वर्षों से 21 विभागों की 30 योजनाओं में अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 2.19** में दर्शाया गया है।

संबंधित विभागों ने सूचित किया (जून-जुलाई 2025) कि जेंडर बजट का कम/शून्य उपयोग भारत सरकार से निधि की कम/शून्य प्राप्ति, राजस्थान सरकार द्वारा छात्रावासों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर प्रतिबंध, लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय, भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति कम प्राप्त होना, सरकार से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना, निविदा रद्द होना तथा निर्माण कार्य हेतु निधि की विलंबित प्राप्ति आदि कारणों से हुआ।

यह स्थिति क्रियान्वयन विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की कमी तथा वित्त विभाग एवं नोडल विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाती है।

अभिलेखों की आगे की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2009 के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के बजट को समय पर जाँचना, समीक्षा करना एवं उसे लैंगिक संवेदनशील एवं लैंगिक उन्मुख बनाने हेतु सुझाव देना था। यह समिति स्थायी समिति के रूप में गठित की गई थी और इसे कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक करनी थी। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एच.एल.सी. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह भी देखा गया कि जेंडर बजट योजनाओं की निगरानी हेतु गठित एचएलसी को जून 2024 में भंग कर दिया गया। यह स्थिति लैंगिक संवेदनशील योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट के अंतर्गत ₹ 54,015.36 करोड़ (कुल राज्य बजट का 10.32 प्रतिशत) आवंटित किया, जिसमें कुल उपयोग 87.35 प्रतिशत रहा। तथापि, विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि 96 योजनाओं में ₹ 1,162.08 करोड़ का शून्य व्यय दर्ज किया गया, 47 योजनाओं में किए गए टोकन प्रावधान पूर्ण रूप से अभ्यर्पित कर दिए गए तथा संशोधित अनुमान चरण में पर्याप्त कटौतियाँ की गईं। ऐसे प्रावधानों की निरंतरता, साथ ही जेंडर बजट की निगरानी हेतु उच्च स्तरीय समिति का निष्क्रिय रहना एवं तत्पश्चात भंग होना, यह दर्शाता है कि आवंटन एवं क्रियान्वयन तत्परता के बीच कमजोर सामंजस्य है, जिससे जेंडर उत्तरदायी बजटिंग की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

2.9 आकस्मिकता निधि

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाए, जिनके द्वारा निधि की अभिरक्षा, निधि में धनराशि जमा करने तथा निधि से धनराशि आहरण से संबंधित अथवा सहायक सभी विषयों का विनियमन किया जाता है। राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि का कोष ₹ 1,000 करोड़ है। वित्तीय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई लेन-देन नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी।

2.10 निष्कर्ष

कुल बजट प्रावधान ₹ 5,23,305.80 करोड़ के विरुद्ध विभाग ने वर्ष 2024-25 में ₹ 4,62,702.16 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ (कुल अनुदान एवं विनियोग का 11.58 प्रतिशत) की बचत हुई। यह राज्य की वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि वाले 21 मामलों में ₹ 8,409.73 करोड़ के अनुपूरक अनुदान दिए गए, जबकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। यह दर्शाता है कि अनुपूरक अनुदान असंगत रूप से प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 13 अनुदानों में ₹ 8,663.31 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया, जो ₹ 2,496.10 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुआ। अनुपूरक प्रावधानों के अत्यधिक/अनावश्यक होने के मामले यह दर्शाते हैं कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थ आकलन नहीं किया तथा बजट नियंत्रक अधिकारियों ने मासिक व्यय के माध्यम से व्यय प्रवाह पर आवश्यक नियंत्रण नहीं रखा।

₹ 931.66 करोड़ का राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में, गलत वर्गीकृत किया गया।

वर्ष के दौरान 13 मामलों में पुनर्विनियोग अपर्याप्त/अत्यधिक/अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए। अपर्याप्त/अत्यधिक अथवा अनावश्यक पुनर्विनियोग के मामले यह दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारियों ने अपने नियंत्रणाधीन लेखा शीर्षों में निधि की आवश्यकता का पर्याप्त आकलन नहीं किया।

वर्ष 2022-2025 के दौरान 26 अनुदानों में निरंतर बचतें रही, जो सरकार स्तर पर प्रणालीगत एवं निगरानी की कमियों को दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 में एक अनुदान में ₹ 74.86 करोड़ का प्रावधान से अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-2023 से 2023-2024 के दौरान ₹ 21,147.34 करोड़ का आधिक्य व्यय नियमितीकरण हेतु लंबित है।

वर्ष के अंतिम माह/अंतिम तिमाही में भारी व्यय होना आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी तथा व्यय/प्राप्तियों पर बजटीय नियंत्रण एवं प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.11 सकारात्मक पहलू

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन के उत्तम पहलू नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों को प्रस्तुत किया जाना।
- अधिकांश बचतों का वर्ष के अंत से पहले अभ्यर्पण किया जाना।

2.12 सिफारिशें

- वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि बजट अनुमान वास्तविक व्यय प्रवृत्तियों, प्रतिबद्ध देयताओं तथा योजनाओं की क्रियान्वयन तत्परता के आधार पर तैयार किए जाएं।
- वित्त विभाग अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तावों की अधिक कठोरता से जाँच की जाए, ताकि ऐसे प्रावधानों से बचा जा सके जो अप्रयुक्त रहने की संभावना रखते हैं।

- बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पुनर्विनियोग आदेश अद्यतन व्यय आँकड़ों तथा बचत एवं अतिरिक्त आवश्यकताओं के यथार्थ आकलन पर आधारित हों।
- अनुच्छेद 205 के अनुसार, सभी आधिक्यों को समयबद्ध तरीके से नियमितीकरण के लिए विधानमंडल के समक्ष रखा जाए।
- विभागों द्वारा निष्क्रिय अथवा अप्रभावी बजट मदों की पहचान एवं उन्हें बंद करने हेतु आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए।
- बजट और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर के लिए समय पर और सटीक स्पष्टीकरण महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि विधायी निगरानी सुदृढ़ हो सके।
- सरकार आंतरिक निगरानी एवं व्यय पूर्वानुमान प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर विचार करे, जिससे बजट की विश्वसनीयता में सुधार हो और बार-बार होने वाली बचतों को कम किया जा सके।